



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225019  
CG-DL-E-09022021-225019

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]  
No. 524]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

का.आ. 576(अ).— भारत गणराज्य और लिथुआनिया गणराज्य के मध्य प्रत्यर्पण संबंधी संधि पर 9 अक्तूबर, 2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे तथा अनुसमर्थन की लिखत का विनिमय विलनिअस में 17 अगस्त, 2019 को हुआ था।

और उक्त संधि के अनुच्छेद 27 के पैरा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त प्रत्यर्पण संधि को 17 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त किया गया था।

और उक्त संधि, इस आदेश की अनुसूची में प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3, खण्ड (9) के अधीन तथा अपेक्षित पूर्ण रूप से उपवर्णित है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि अध्याय 3 से भिन्न, उक्त अधिनियम के उपबंध, लिथुआनिया गणराज्य पर उक्त संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

**अनुसूची**  
**भारत गणराज्य**  
**और**  
**लिथुआनिया गणराज्य**  
**के बीच**  
**प्रत्यर्पण संधि**

भारत गणराज्य तथा लिथुआनिया गणराज्य, (जिन्हें इसके बाद से "संविदाकारी राष्ट्र" कहा गया है), यह स्वीकार करते हुए कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं; अपराधियों के प्रत्यर्पण द्वारा अपराधों का दमन करने में अधिक कारगर सहयोग प्रदान करने की इच्छा से; निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

**अनुच्छेद 1**

**प्रत्यर्पण का दायित्व**

संविदाकारी राष्ट्र इस संधि के परवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित शर्तों के अनुसार अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों से ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए सहमत हैं जो दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के भूभाग में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का संदिग्ध, अभियुक्त या अपराधी सिद्ध हुआ हो, भले ही यह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले किया गया हो अथवा बाद में।

**अनुच्छेद 2**

**प्रत्यर्पणीय अपराध**

1. ऐसा अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा जिसके लिए दोनों संविदाकारी राष्ट्रों के कानूनों के तहत अपराधी को कारावास सहित उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना अथवा कम से कम एक वर्ष की सजा या और अधिक कठोर सजा दी जा सके। यदि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध हिरासत विषयक सजा काटने से संबंधित है, तो प्रत्यर्पण की मंजूरी केवल तभी दी जाएगी जब अनुरोध के समय कम से कम एक साल की सजा काटनी शेष रह गई हो।
2. ऐसा अपराध भी प्रत्यर्पणीय अपराध होगा यदि इसमें अपराध करने की कोशिश अथवा साजिश में संलिप्तता सहित अनुच्छेद 1 में वर्णित किसी अपराध में सहायता करने या उकसाने अथवा उस अपराध के पूर्व अथवा उसके बाद सहायक के रूप में संलिप्त होना शामिल हो।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ऐसा अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा:
  - क. अनुरोधकर्ता राष्ट्र में लागू कानून चाहे उस अपराध को अपराधों की एक ही श्रेणी में रखे अथवा नहीं अथवा उस अपराध को उन्हीं शब्द में वर्णित करे अथवा नहीं;
  - ख. यदि किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग किसी ऐसे अपराध के लिए की गई हो जो कराधान, सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण अथवा राजस्व संबंधी अन्य मामलों से संबंधित हो तो प्रत्यर्पण इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र में इस प्रकार के कर अथवा शुल्क प्रभारित नहीं किए जाते अथवा उस प्रकार के कर, सीमा शुल्क अथवा मुद्रा विनिमय विनियमन की व्यवस्था नहीं है जैसाकि अनुरोधकर्ता राष्ट्र में लागू है अथवा यह विशुद्ध रूप से कराधान अथवा राजस्व से संबंधित अथवा पूर्णतः वित्तीय स्वरूप का है;
  - ग. इस पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्पणीय अपराध से संबंधित कृत्य कहाँ किया गया है।
4. यदि प्रत्यर्पण की मंजूरी किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए दी गई है तो यह अनुरोध में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अपराध के लिए भी दी जाएगी, भले ही उत्तरवर्ती अपराध इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करता हो, बशर्ते प्रत्यर्पण हेतु अन्य सभी अपेक्षाएं पूरी होती हों।

**अनुच्छेद 3****प्रत्यर्पण से इन्कार**

प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र यह समझता है कि सभी परिस्थितियों, जिसमें अपराध के मामूली स्वरूप अथवा न्याय-हित शामिल है, को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करना न्यायपूर्ण या उचित नहीं होगा अथवा यदि यह मानने के पर्याप्त उचित कारण हों कि वस्तुनिष्ठ आधार पर प्रत्यर्पण का यह अनुरोध किसी व्यक्ति को पूर्णतः उसकी प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता, नृजातीय उत्पत्ति, राजनीतिक विचार, लिंग अथवा यौनजनित दुर्भावनाओं के आधार पर उसके अभियोजन अथवा उसे दंडित करने के लिए किया गया है।

**अनुच्छेद 4****राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण**

1. संविदाकारी राष्ट्र अपने-अपने देश के नागरिकों को अन्य संविदाकारी राष्ट्र को प्रत्यर्पित नहीं करेंगे।
2. यदि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र उस व्यक्ति के अभियोजन पर विचार करने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करेगा।

**अनुच्छेद 5****राजनीतिक अपराध अपवर्जन**

1. प्रत्यर्पण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि उस अपराध को जिसके लिए अनुरोध किया गया हो, अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र एक राजनीतिक अपराध मानता हो।
2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनीतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा:
  - क. ऐसा अपराध जिसके संबंध में दोनों संविदाकारी राष्ट्र किसी बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि/कन्वेंशन, जिसमें दोनों देश पक्षकार हों, के अनुसरण में वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण अथवा अभियोजन संबंधी निर्णय लेने हेतु अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों को यह मामला प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हो;
  - ख. हत्या अथवा आपराधिक मानव हत्या/नरसंहार;
  - ग. ऐसा अपराध जो आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, विध्वंसकारी उपकरणों अथवा वस्तुओं से संबंधित हो जिसके कारण मृत्यु, शरीर में गंभीर चोट अथवा संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचे;
  - घ. आतंकवाद से संबंधित अपराध जो अनुरोध के समय अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत राजनीतिक अपराध न माना जाए;
  - ङ अपहरण, गलत कारावास अथवा गैरकानूनी निरोध, जिसमें बंधक बनाना भी शामिल है;
  - च. उपरोक्त किसी भी अपराध का षड्यंत्र रचना, इसे कारित करना अथवा इसमें संलिप्त होना।

**अनुच्छेद 6****दोबारा सजा न देना**

यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध ऐसे अपराध अथवा अपराधों के लिए किया गया हो जिसके लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संबंधित व्यक्ति के बारे में अंतिम फैसला दिया जा चुका हो तो प्रत्यर्पण की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

**अनुच्छेद 7****समय-सीमा की समाप्ति**

यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार समय-सीमा समाप्त हो जाने से वांछित व्यक्ति अभियोजन अथवा दंड से उन्मुक्त हो गया हो तो प्रत्यर्पण की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

**अनुच्छेद 8****मृत्युदंड**

यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत वांछित व्यक्ति को उस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया हो जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई हो, परंतु अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून में वैसे मामले में मृत्युदंड का प्रावधान न हो तो प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है, जब तक कि अनुरोधकर्ता राष्ट्र इस प्रकार का आश्वासन न दे जिसे अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र इस बाबत पर्याप्त समझे कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।

**अनुच्छेद 9****प्रत्यर्पण तथा अभियोजन**

1. यदि प्रत्यर्पण हेतु वांछित व्यक्ति पर उस राष्ट्र के न्यायालयों में प्रत्यर्पण से जुड़े अपराध हेतु मुकदमा चलाया जाए तो प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध को अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
2. यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित कारणों से प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध को अस्वीकार कर दे तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके। प्राधिकारीगण उसी तरीके से निर्णय लेंगे जैसाकि उस राष्ट्र के कानून के तहत गंभीर किस्म के अपराधों के मामले में लिए जाते हैं।
3. यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारीगण या तो उन कृत्यों के लिए वांछित व्यक्ति पर अभियोजन न चलाने का निर्णय लेते हैं जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो अथवा उस वांछित व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध पर इस संधि के अनुसार पुनर्विचार किया जाएगा।

**अनुच्छेद 10****सैन्य अपराध**

यदि किसी ऐसे अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई हो, जो सैन्य अपराध हो, परंतु सामान्य अपराध कानून के तहत अपराध न हो तो प्रत्यर्पण की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

**अनुच्छेद 11****प्रत्यर्पण का स्थगन**

यदि वांछित व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए कार्रवाई चल रही हो या वह अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र में सजा काट रहा हो जो प्रत्यर्पण के अनुरोध से जुड़े अपराध से अलग हो तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र अपने कानून के अनुसार उस व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है अथवा कार्यवाही के समापन तक दी गई सजा के आंशिक भाग पूरी कर लेने या संपूर्ण सजा काट लेने तक अभ्यर्पण को स्थगति कर सकता है। अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोधकर्ता राज्य को ऐसे किसी स्थगन के बारे में सूचित करेगा।

**अनुच्छेद 12****प्रत्यर्पण प्रक्रिया तथा अपेक्षित दस्तावेज़**

1. इस संधि के तहत प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।
2. इस अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न होंगे:
  - क. वांछित व्यक्ति का यथासंभव सटीक ब्योरा और उसके साथ ऐसी कोई अन्य सूचना जिससे उस व्यक्ति की पहचान, राष्ट्रीयता तथा आवास का पता लगाया जा सके।
  - ख. उस अपराध से संबंधित तथ्यों का ब्योरा जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, और
  - ग. उस कानून का पाठ, यदि कोई हो
    - i. उस अपराध की परिभाषा तथा
    - ii. उस अपराध के लिए अधिकतम सजा का निर्धारण

3. यदि अनुरोध संदिग्ध अथवा आरोपी व्यक्ति से संबंधित है तो उसके साथ अनिवार्यतः अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भूक्षेत्र में किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश संलग्न हो और साथ ही ऐसा साक्ष्य लगाया जाना चाहिए जो यह सिद्ध कर सके कि यदि वैसा अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र में किया गया होता तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना उचित होता, और साथ ही वह साक्ष्य भी शामिल हो कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके संबंध में रफ्तारी वारंट का उल्लेख है।

4. यदि यह अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो पहले से ही दोषसिद्ध एवं सजायाफ्ता हो तो इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न होंगे:

क. दोषसिद्धि संबंधी फैसले की एक अधिप्रमाणित प्रति;

ख. इस बाबत सूचना कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके संबंध में दोषसिद्धि का उल्लेख किया गया है;

ग. इस बाबत एक विवरण कि वह व्यक्ति दोषसिद्धि अथवा सजा को चुनौती देने के लिए पात्र नहीं है और साथ ही यह व्योरा कि कितनी सजा पूरी कर ली गई है;

घ. किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में दोषसिद्धि के मामले में इस अनुच्छेद के पैरा 3 में उल्लिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित होगा;

ङ. किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में चलाए गए मुकदमे के मामले में अनुरोधकर्ता राष्ट्र के इस बाबत आश्वासन दिए जाने पर उसके प्रत्यर्पण पर विचार किया जा सकता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राष्ट्र में इस मामले पर पुनः विचारण तथा इस दौरान उसमें उपस्थित रहने का अवसर दिया जाएगा।

5. प्रत्यर्पण अनुरोध के समर्थन में दस्तावेज़ प्राप्त किए जाएंगे तथा प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते इन दस्तावेजों का मूल दस्तावेज़ होना अथवा ऐसे दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियाँ होना प्रमाणित किया जाए और न्यायालय की आधिकारिक सील अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका अधिप्रमाणन किया जाए।

### अनुच्छेद 13

#### अनुवाद

प्रस्तुत किए जाने वाले अनुरोध तथा दस्तावेजों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाएगा।

### अनुच्छेद 14

#### अनंतिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामले में अनुरोधकर्ता राष्ट्र प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण अनुरोध की प्रस्तुति लंबित रहने तक उसे अनंतिम तौर पर गिरफ्तार करने का अनुरोध कर सकता है। अनंतिम गिरफ्तारी हेतु राजनयिक माध्यम अथवा केंद्रीय प्राधिकारी के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार का अनुरोध प्रेषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल) की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

2. अनंतिम गिरफ्तारी हेतु आवेदन लिखित में होंगे तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) वांछित व्यक्ति का विवरण और साथ ही उस व्यक्ति की राष्ट्रिकता से संबंधित जानकारी;

(ख) वांछित व्यक्ति का स्थान;

(ग) मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और अपराध कारित करने का समय और स्थान;

(घ) वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट अथवा दोषसिद्धि का निर्णय संलग्न होने का विवरण; और

(ङ.) यह विवरण कि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए बाद में अनुरोध किया जाएगा।

3. अनुरोधकर्ता राष्ट्र को अनंतिम गिरफ्तारी संबंधी उसके अनुरोध की स्थिति तथा अनुरोध पर कार्रवाई संबंधी किसी असमर्थता के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।

4. यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनुच्छेद- 12 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 15****विशिष्टता के नियम**

1. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता देश में निम्नलिखित को छोड़कर किसी अन्य अपराध में हिरासत में नहीं लिया जाएगा, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा उसे दंडित नहीं किया जाएगा:-

(क) जिस अपराध के लिये प्रत्यर्पण मंजूर किया गया है अथवा जिन तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई है उन्हीं तथ्यों के आधार पर उनसे पृथक वर्गीकृत अपराध, बशर्ते कि ऐसे अपराध प्रत्यर्पणीय हों अथवा उससे कम गंभीर अपराध हों।

(ख) व्यक्ति के प्रत्यर्पण के बाद अपराध को अंजाम दिया गया हो;

(ग) जिस अपराध के संबंध में उसे प्रत्यर्पित किया गया था अथवा उसके प्रत्यर्पण के अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ऐसा कोई अपराध जिसके संबंध में उसे दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।

(घ) ऐसा अपराध जिसके लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता देश के कार्यपालक प्राधिकारी ने उस व्यक्ति को निरुद्ध करने, उस पर मुकदमा चलाने अथवा दंड देने की सहमति दी है, इस उप पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए:

(i) अनुरोध प्राप्तकर्ता देश अनुच्छेद-12 में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है,

(ii) अनुरोध पर कार्रवाई के दौरान अनुरोधकर्ता देश प्रत्यर्पित व्यक्ति को 90 दिनों या अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा यथाधिकृत अवधि के लिए हिरासत में रख सकता है।

2. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित व्यक्ति को उसके अभ्यर्पण से पहले किए गए किसी अपराध के लिए अभ्यर्पणकारी देश की सहमति के बिना किसी तीसरे देश को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 व 2 के अंतर्गत किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति के निरोध, विचारण अथवा दण्ड अथवा उस व्यक्ति के किसी तीसरे देश को प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगाया गया है यदि:

(क) वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के बाद अनुरोधकर्ता देश का भू-भाग छोड़ देता है तथा स्वेच्छा से वहाँ वापस आ जाता है, अथवा

(ख) वह व्यक्ति जिस दिन से भू-भाग छोड़ने के लिए स्वतंत्र है उसके 60 दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता देश का भू-भाग नहीं छोड़ता।

**अनुच्छेद 16****अनुपूरक साक्ष्य/सूचना**

1. यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र किसी चरण में यह समझता है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध के समर्थन में दी गई सूचना इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण की मंजूरी के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह राष्ट्र यह अनुरोध कर सकता है कि निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपूरक सूचना प्रस्तुत की जाए।

2. यदि प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और दी गई अनुपूरक सूचना इस संधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है अथवा सूचना विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को हिरासत से रिहा किया जा सकता है। इस प्रकार की रिहाई से उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोधकर्ता राष्ट्र द्वारा नया अनुरोध करने पर कोई रोक नहीं है।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार, जैसे ही कोई व्यक्ति हिरासत से रिहा होता है, अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोधकर्ता राष्ट्र को यथासंभव शीघ्र सूचना देगा।

**अनुच्छेद-17****प्रत्यर्पण से छूट**

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य में अभ्यर्पण के लिए तैयार है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य अपने कानून के अधीन आगे की कार्रवाई के बिना यथाशीघ्र उस व्यक्ति को सौंप देगा।

**अनुच्छेद 18****अभ्यर्पण**

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र प्रत्यर्पण के अनुरोध पर निर्णय लेते ही राजनयिक माध्यमों से अनुरोधकर्ता राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकारी को निर्णय की सूचना देगा। प्रत्यर्पण अनुरोध को पूर्ण अथवा आंशिक तौर पर अस्वीकार करने के कारण दिए जाएंगे।
2. अनुरोध प्राप्तकर्ता देश वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के भू-भाग के उस स्थान पर सौंपेगा, जो दोनों सविदाकारी राष्ट्रों को स्वीकार हो।
3. अनुरोधकर्ता राष्ट्र अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा विनिर्दिष्ट उपयुक्त अवधि के भीतर अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू-भाग से उस व्यक्ति को ले जाएगा और यदि उस अवधि के भीतर उस व्यक्ति को नहीं ले जाया जाता तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है तथा उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण से इन्कार कर सकता है।

**अनुच्छेद-19****कई देशों द्वारा प्रत्यर्पण अथवा अभ्यर्पण का अनुरोध**

यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता देश को अनुरोधकर्ता देश तथा कोई अन्य देश अथवा कई देशों से एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए एक ही अपराध अथवा विभिन्न अपराधों के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता देश का कार्यकारी प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि वह उस व्यक्ति को किस देश को सौंपेगा। अपना निर्णय लेते समय, अनुरोध प्राप्तकर्ता देश सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा तथा विशेष तौर पर अपराध से संबंधित सापेक्षिक गंभीरता व अपराध होने के स्थान, अनुरोधों से संबंधित तिथियां, व्यक्ति के पुनः प्रत्यर्पण की संभावना को ध्यान में रखेगा तथा इस पर भी विचार करेगा कि क्या यह अनुरोध अभियोजन अथवा हिरासत विषयक दंड निष्पादित करने से संबंधित है।

**अनुच्छेद-20****संपत्ति की जब्ती और सौंपना**

1. जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मंजूर किया गया है उस अपराध से जुड़े सामानों, दस्तावेजों तथा साक्ष्यों को अनुरोध प्राप्तकर्ता देश जब्त करेगा तथा अनुरोधकर्ता देश को सौंपेगा।
2. यदि वांछित व्यक्ति की मृत्यु/गुमशुदगी अथवा फरार होने के कारण परस्पर सम्मत प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है तो भी अनुच्छेद-1 में उल्लिखित सामान सौंप दिया जाएगा। यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता देश में साक्ष्य के तौर पर वे मदें अपेक्षित हैं तो अनुरोध प्राप्तकर्ता देश ऐसी मदों को सौंपने का कार्य आस्थगित भी कर सकता है।
3. यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता देश के नियमों के अधीन तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार सौंपी गई कोई मद आवश्यक है तो ऐसी मदें अनुरोध प्राप्तकर्ता देश को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र निःशुल्क वापस की जाएगी।

**अनुच्छेद-21****पारगमन**

1. प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र अपने कानून के अनुसार किसी तीसरे देश द्वारा अन्य संविदाकारी राष्ट्र को सौंपे गए व्यक्ति का अपने भू-भाग से पारगमन अधिकृत कर सकता है। पारगमन का अनुरोध केन्द्रीय प्राधिकारी या राजनयिक चैनल से किया जाएगा। ऐसे अनुरोध भेजने के लिए इंटरपोल की भी सहायता ली जा सकती है। इसमें पारगमन किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण होगा तथा मामले के तथ्यों का संक्षिप्त सार होगा। जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा हो उसे पारगमन की अवधि के दौरान हिरासत में रखा जा सकता है।
2. यदि परिवहन के लिए वायुयान का प्रयोग किया जाता है तथा संविदाकारी राष्ट्र के भू-भाग में वायुयान का उतरना निर्धारित नहीं है तो कोई प्राधिकार अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी संविदाकारी राष्ट्र के भू-भाग में वायुयान को आकस्मिक रूप से उतारा जाता है तो अन्य संविदाकारी राष्ट्र इस अनुच्छेद के पैरा-1 के अनुसार पारगमन के अनुरोध की मांग कर सकता है। यदि आकस्मिक रूप से वायुयान के उतरने के चार कार्यदिवसों के भीतर अनुरोध प्राप्त होता है तो संविदाकारी देश पारगमन का अनुरोध प्राप्त होने तथा पारगमन होने तक पारगमन करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लेगा।

**अनुच्छेद- 22****प्रत्यर्पण में परस्पर कानूनी सहायता**

प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र अपने-अपने कानूनों द्वारा स्वीकृत सीमा तक आपराधिक मामलों में जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसके संबंध में अधिकतम पारस्परिक सहायता देने का विस्तृत उपाय करेंगे।

**अनुच्छेद-23****प्रतिनिधित्व एवं व्यय**

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता देश के क्षेत्र में प्रत्यर्पण के अनुरोध से संबंधित सभी व्यय का वहन उस राष्ट्र द्वारा किया जाएगा।
2. अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोधकर्ता राष्ट्र के अभ्यावेदन के मामले में अनुरोध से संबंधित किसी कार्यवाही के लिए आवश्यक सभी व्यवस्था करेगा।

**अनुच्छेद-24****केन्द्रीय प्राधिकारी**

इस संधि के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राष्ट्र अपने केन्द्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से पत्र व्यवहार करेंगे। भारत गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी विदेश मंत्रालय होगा तथा लिथुआनिया गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी न्याय मंत्रालय एवं द प्रोसिक््यूटर जनरल आफिस होगा।

2. संविदाकारी राष्ट्र अपने-अपने केन्द्रीय प्राधिकारियों के संपर्क का ब्यौरा और उसमें होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना राजनयिक माध्यमों से शीघ्रातिशीघ्र संप्रेषित करेंगे।

**अनुच्छेद- 25****अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संधियों के अंतर्गत दायित्व**

यदि संविदाकारी राष्ट्र किसी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन/संधि के पक्षकार हैं तो इससे संबंधित अधिकारों/दायित्वों पर इस संधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुच्छेद-26****विवाद समाधान**

इस संधि के कार्यान्वयन अथवा व्याख्या के क्रम में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान दोनों संविदाकारी राष्ट्रों के बीच परस्पर विचार-विमर्श/अथवा बातचीत से किया जाएगा।

**अनुच्छेद-27****प्रवृत्त एवं निरस्त होने की तारीख**

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यक्षीन है। अनुसमर्थन विलेखों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र किया जाएगा। यह संधि अनुसमर्थन विलेखों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगी तथा अनिश्चितकालीन अवधि के लिए लागू रहेगी।
2. संविदाकारी देशों के बीच परस्पर करार के द्वारा इस संधि में संशोधन किया जा सकता है। ये संशोधन प्रोटोकॉल के रूप में होंगे। ये प्रोटोकॉल पैराग्राफ 1 में किए गए प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।



3. कोई भी पक्षकार राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में नोटिस के जरिए किसी भी समय इस संधि को निरस्त कर सकता है। जिस तारीख को नोटिस दिया जाएगा उसके छह (6) माह बाद यह संधि समाप्त हो जाएगी।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज 2017 में अक्टूबर माह की नौ दिनांक को हिंदी, लिथुआनियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी प्रकार की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य

लिथुआनिया गणराज्य

की ओर से

की ओर से

नाम: सुषमा स्वराज

नाम: लिनास लिनकेविकियस

पद: विदेश मंत्री

पद: विदेश मंत्री

[सं. टी - 413/31/1998]

देवेश उत्तम, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 9th February, 2021

**S.O. 576(E).**—WHEREAS, the extradition treaty namely, Treaty on Extradition between the Republic of India and The Republic of Lithuania was signed at New Delhi on 9<sup>th</sup> day of October, 2017 and the instrument of ratification of the said treaty were exchanged at Vilnius on the 17<sup>th</sup> day of August 2019;

AND WHEREAS, the said treaty entered into force with effect from the 17<sup>th</sup> day of August, 2019 in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 27 of the said Treaty;

AND WHEREAS, the said treaty is set out in full, as required under clause (9) of section 3 of the Extradition Act, 1962(34 of 1962), in the Schedule to this Order in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (3) of the Extradition Act, 1962 the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Republic of Lithuania with effect from the date of entry into force of the said extradition treaty.

### SCHEDULE

#### EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

The Republic of India and the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the "Contracting States");

Recognizing that concrete steps are necessary to combat crime, including terrorism;

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders; and

Have agreed as follows:

#### Article 1

##### Obligation to Extradite

The Contracting State shall extradite a person found in its respective territory who is suspect, accused or convicted of an extraditable offence in the territory of the other Contracting State, in accordance with the stipulations contained in subsequent Articles of this Treaty, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

#### Article 2

##### Extraditable Offence

1. An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws of both Contracting States by deprivation of liberty, including imprisonment, for at least a period of one year, or by a more severe penalty. Where

the request for extradition relates to execution of a custodial sentence, extradition shall be granted only if a period of at least one year in the sentence remains to be served at the time of making the request.

2. An offence shall also be an extraditable offence if it involves an attempt to commit or a conspiracy to commit, including aiding or abetting the commission of or being an accessory before or after the fact to, an offence described in paragraph 1.

3. For the purpose of this Article, an offence shall be an extraditable offence:

- a. whether or not the laws in the Requesting State place the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology;
- b. where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition shall not be refused on the ground that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, custom or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting State, or it relates to taxation or revenues or is of a purely fiscal character;
- c. regardless of where the act or acts constituting the extraditable offence were committed.

4. If extradition has been granted for an extraditable offence, it shall also be granted for any other offence specified in the request, even if the latter offence does not meet the requirements under Paragraph 1 of this Article, provided that all other requirements for extradition are met.

### **Article 3**

#### **Refusal of Extradition**

Extradition shall be refused if the Requested State considers that, having regard to all the circumstances, including the trivial nature of the offence, or in the interest of justice, it would be unjust or inexpedient to extradite the person, or if there are reasonable grounds to believe that, on the basis of objective elements, the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person purely on the grounds of his or her race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, sex or sexual orientation.

### **Article 4**

#### **Extradition of Nationals**

1. Contracting States shall not extradite their own nationals to other Contracting State.

2. Where the extradition is refused on the ground of nationality of the person sought, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for considering prosecution of that person.

### **Article 5**

#### **The Political Offence Exception**

1. Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is regarded by the Requested State as a political offence.

2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:

- a. an offence in respect of which both Contracting States have the obligation to extradite the person sought or submit the case to their competent authorities, for decision as to prosecution pursuant to a multilateral international treaty/convention to which both are parties;
- b. murder or culpable homicide/manslaughter;
- c. an offence, involving firearms, explosives, incendiaries, destructive devices or substances, causing death, grievous bodily harm or serious damage to property;
- d. offences related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as political offence;
- e. kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage;
- f. a conspiracy or attempt to commit, or participation in the commission of any of the foregoing offences.

### **Article 6**

#### ***Non bis in idem***

Extradition shall not be granted if final decision has been passed by the competent authorities of the Requested State upon the person sought in respect of the same offence or offences for which extradition is requested.

**Article 7****Lapse of Time**

Extradition shall not be granted when the person sought has, according to the law of the Requesting State, become immune by reason of lapse of time from prosecution or punishment.

**Article 8****Capital Punishment**

If under the law of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his/her extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

**Article 9****Extradition and Prosecution**

1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the Courts of that State.
2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason mentioned in paragraph 1 of this Article, the Requested State shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.
3. If the competent authorities of the Requested State decide either not to prosecute the person sought for acts for which extradition is requested or to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

**Article 10****Military Offences**

Extradition shall not be granted if the offence in respect of which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under ordinary criminal law.

**Article 11****Postponement of Extradition**

When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than for which extradition is requested, the Requested State may, in accordance with its law, surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceeding or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested State shall inform the Requesting State of any postponement.

**Article 12****Extradition Procedures and Required Documents**

1. The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channel.
2. The request shall be accompanied by:
  - a. as accurate description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish that person's identity, nationality and residence;
  - b. a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and
  - c. the text, if any, of the law:
    - i. defining that offence; and
    - ii. prescribing the maximum punishment for that offence.
3. If the request relates to a suspect or an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate, court or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.
4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by:
  - a. an authenticated copy of the judgment of conviction;
  - b. information establishing that the person sought is the person to whom the conviction refers;
  - c. a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has been carried out;

- d. in the case of a person convicted in absentia, the documents referred to in paragraph 3 of this Article shall be required;
- e. in the case of a person tried in absentia, extradition may be considered on the assurance of the Requesting State that such person shall have an opportunity for a retrial of the case in the Requesting State and to be present at the trial.

5. Documents, in support of an extradition request, shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings, provided the documents are certified to be the original documents or true copies of such documents and are authenticated by the official seal of the court or by the competent authority.

### **Article 13**

#### **Translation**

The request and documents to be produced shall be translated into English language.

### **Article 14**

#### **Provisional Arrest**

1. In cases of urgency, Requesting State may request for the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. A request for the provisional arrest may be made through the diplomatic channel or the Central Authorities. The facilities of the International Criminal Police Organization (Interpol) may be used to transmit such a request.

2. The application for provisional arrest shall be in writing and contain:

- a. a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
- b. location of the person sought;
- c. a brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence;
- d. a description of the laws violated; a statement of the existence of a warrant of arrest, or judgment of conviction against the person sought;
- e. a statement that a request for extradition of the person sought will follow.

3. The Requesting State shall be notified as soon as possible of the disposition of its request for provisional arrest and the reasons for any inability to proceed with the request.

4. The person arrested may be set at liberty if the Requesting State fails to present the request for extradition to the Requested State, accompanied by the documents specified in Article 12, within 60 (sixty) days from the date of arrest.

### **Article 15**

#### **Rule of Specialty**

1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting State except for:

- a. the offence for which extradition has been granted or a differently denominated offence based on the same facts on which extradition has been granted, provided such offence is extraditable or is a lesser included offence;
- b. an offence committed after the extradition of the person took place;
- c. an offence in respect of which he/she was extradited, or another offence in respect of which he/she could be convicted based on the proven facts used to support the request for his/her extradition; or
- d. an offence for which the executive authority of the Requested State consents to the person's detention, trial, or punishment for an offence. For the purpose of this subparagraph:
  - i. the Requested State may require submission of the documents mentioned in Article 12;
  - ii. The person extradited may be detained by the Requesting State for 90 days, or for such longer period of time as the Requested State may authorize, while the request is being processed.

2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his/her surrender unless the surrendering State consents.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person or the extradition of that person to a third State, if:

- a. that person leaves the territory of the Requesting State after extradition and voluntarily returns to it; or
- b. that person does not leave the territory of the Requesting State within 60 days of the day on which that person is free to leave.

**Article 16****Supplementary Evidence/Information**

1. If the Requested State considers at any stage that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient in accordance with the Treaty to enable extradition to be granted, that State may request that supplementary information be furnished within reasonable time as it may specify.
2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the supplementary information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person may be released from the custody. Such release shall not preclude the Requesting State from making a new request for the extradition of that person.
3. Where the person is released from the custody in accordance with paragraph 2 of this Article, the Requested State shall notify to the Requesting State as soon as practicable.

**Article 17****Waiver of Extradition**

If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

**Article 18****Surrender**

1. The Requested State shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Central Authority of the Requesting State through the diplomatic channel. Reasons shall be given for any complete or partial refusal of a request for extradition.
2. The Requested State shall surrender the person sought to the competent authority of the Requesting State at a location in the territory of the Requested State as acceptable to both Contracting States.
3. The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within such reasonable period as specified by the Requested State and, if the person sought is not removed within that period, the Requested State may set that person at liberty and may refuse extradition for the same offence.

**Article 19****Requests for Extradition or Surrender Made by Several States**

If the Requested State receives requests from the Requesting State and from any other State or States for the extradition or surrender of the same person, either for the same offence or for different offences, the executive authority of the Requested State shall determine to which State, it will surrender the person. In making its decision, the Requested State shall consider all the circumstances and especially the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the requests, possibility to re-extradite the person and whether the request relates to prosecution or execution of a custodial sentence.

**Article 20****Seizure and Surrender of Property**

1. To the extent permitted under its law the Requested State may seize and surrender to the Requesting State all articles, documents and evidence connected with the offence in respect of which extradition is granted.
2. The items mentioned in paragraph 1 of this Article shall be handed over even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought. The Requested State may also defer the surrender of such items if it is needed as evidence in the Requested State.
3. Where the law of the Requested State relating to the protection of rights of third parties so requires, any item so surrendered shall be returned to the Requested State as soon as practicable and free of charge.

**Article 21****Transit**

1. Each Contracting State may in accordance with its law authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other Contracting State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channel or Central Authorities. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person being transported may be detained in custody during the period of transit.

2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Contracting State. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Contracting State, the other Contracting State may require the request for transit in accordance with paragraph 1 of this Article. That Contracting State shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, so long as the request is received within four working days of the unscheduled landing.

**Article 22****Mutual Legal Assistance in Extradition**

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

**Article 23****Representation and Expenses**

1. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State.

2. The Requested State shall make all arrangements required with respect to the representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request.

**Article 24****Central Authorities**

1. For the purpose of this Treaty, the Contracting States shall communicate through their Central Authorities. The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and for the Republic of Lithuania the Central Authorities shall be the Ministry of Justice and the Prosecutor General's Office.

2. The Contracting States shall through the diplomatic channels communicate to each other contact details of their Central Authorities, and changes therein, if any, as soon as possible.

**Article 25****Obligations under International Conventions/Treaties**

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are a party.

**Article 26****Dispute Resolution**

Any dispute regarding the application or interpretation of this Treaty shall be resolved between the Contracting States by means of consultations and/or negotiations.

**Article 27****Entry into Force and Termination**

1. This Treaty shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of the instrument of ratification and shall remain in force for an indefinite period of time.

2. This Treaty may be amended by mutual agreement of the Contracting States. The amendments shall be in the form of a Protocol. The Protocol shall enter into force as provided in paragraph 1 of this Article.

3. Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the other Contracting State through diplomatic channels. Termination shall take effect six (6) months after the date of such notice.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

**Done** at New Delhi on this Ninth day of October Two Thousand and Seventeen, in two originals, each in Hindi, Lithuanian and English languages. All texts being equally authentic, in case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of  
The Republic of India

For the Government of  
The Republic of Lithuania

Name: Smt. Sushma Swaraj  
Designation: Minister of  
External Affairs

Name: Mr. Linas Linkevičius  
Designation: Minister of  
Foreign Affairs  
[No. T-413/31/1998]  
DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV)